दिनांक 09 जुलाई 2019

स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छ और सुंदर भिलाई

भिलाईनगर/नगर पालिक निगम भिलाई की उड़नदस्ता टीम ने मंगलवार को विभिन्न क्षेत्रों में दबिश देकर 12 व्यवसायिक प्रतिष्ठानो से 14700 रूपये अर्थ दण्ड वसुले खुले में कचरा फेंकने वालों को चेतावनी दी। प्रतिबंधित कैरी बैग के इस्तेमाल करने वालों को समझाईश दी गई। आज की कार्यवाही में टीम ने व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में अनुज्ञप्ति लाईसेंस और दुकानों में खाद्य पदार्थों की जांच करते हुए अर्थदण्ड वसूला है। नगर निगम आयुक्त एस.के.सुन्दरानी के निर्देश पर निगम द्वारा उड़न दस्ता दल का गठन किया गया है। उक्त दल ने निगम क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर खुले में कचरा फेकने वालों को उचित स्थान पर कचरा डालने कहा गया ताकि रहवाही क्षेत्र में गंदगी न फैले और वर्षाकाल मे उत्पन्न होने वाले बिमारियों पर रोकथाम हो क्षेत्र के बाजारों में प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग का इस्तेमाल करने वालों और तंबाकु सेवन करने वालों को मुनादी कर समझाईश दी जा रही है। निगम के उड़नदस्ता टीम ने वार्ड 14 के उषा किराना स्टोर्स से 13 नग बिस्किट पैकेट एक्सपायरी डेट की जप्त किए, वार्ड 14 के ही गौरवपथ रोड स्थित के.जी.एन का◌ॅटन शा◌ॅप , विनोद आ◌ॅटो सर्विस सेंटर , दीपा एसटीडी, राज ईलेक्ट्रिकलस, न्यू गुलाम वेल्डिंग स्टोर्स , वर्षा स्टेश्नरी एवं फोटोका◌ॅपी , रवि टेन्ट हाउस , कृष्णा लकड़ी रा◌ॅ एवं हार्डवेयर एवं सुकृति फैशन एवं बुटिक सहित अन्य दुकानें जो बिना लाईसेंस चलाए जा रहे थे से जुर्माना वसूला गया। इसी प्रकार रामनगर गौरवपथ में फल ठेला में सड़ा हुआ फल प्रंतिबंधित कैरी बैग पाए जाने पर उसके विरूद्ध कार्यवाही किया गया। नगर निगम की उड़न दस्ता दल ने आज 12 व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में जांच के दौरान अनुज्ञप्ति लाईसेंस नहीं पाए जाने पर दण्डात्मक कार्यवाही की।

जनसम्पर्क अधिकारी